HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14891/2026
CNR: RJHC020917832026 | URN: CRLMB / 27426U / 2026

Gautam S/o Hariprasad, Aged About 21 Years, R/o Karela, Police Station Mantown, District Sawai Madhopur (Raj.). (Presently Confined At District Jail Sawai Madhopur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajendra Prasad Jogi
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

02/11/2026

कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटियों को दूर किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या–1/2026 पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं योग्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों की रोशनी में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तथा कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटि को दूर किया जाकर आरोप पत्र की प्रति को अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना **मानटाउन जिला–सवाईमाधोपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **301/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 61(2), 112(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66–डी सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त

पर यह आक्षेप है कि उसने अपना बैंक खाता सहअभियुक्त मोहित को साईबर ठगी के लिए उपलब्ध करवाया तथा उसके बदले में 10 प्रतिशत कमीशन उसके द्वारा प्राप्त किया जाता था। समन्वय पोर्टल पर उसके खाते के विरूद्ध दो शिकायतें दर्ज होना बताया गया है, जो 7107/–रूपये तथा 1,500/– रूपये की राशि से सम्बन्धित है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 5.9.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध साईबर ठगी के गम्भीर अपराधों का अभियोग है। इस मामले में कुल लगभग 2,08,000/–की साईबर ठगी किया जाना पाया गया है। गंभीर अपराध है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त पर अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 61(2), 112(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66–डी सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के आक्षेप है। उस पर यह अभियोग है कि उसने अपना बैंक खाता सहअभियुक्त मोहित को साईबर ठगी के लिए उपलब्ध करवाया तथा उसके बदले में 10 प्रतिशत कमीशन उसके द्वारा प्राप्त किया जाता था। समन्वय पोर्टल पर उसके खाते के विरूद्ध दो शिकायतें दर्ज होना बताया गया है, जो 7107/–रूपये तथा 1,500/– रूपये की राशि से सम्बन्धित है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 5.9.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी–अभियुक्त को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/S-A/81/JITENDRA SINGH PANWAR